न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 90/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भीमा पुत्र हकमाजी उम्र 71 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी खीमेल, तहसील बाली जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.05.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2012 बउनवान भीमा बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम खीमेल तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1077 क्षेत्रफल 4.09 हैक्टेयर(हाल सेटलमेंट की मिशल बंदोबस्त मे क्षेत्रफल 10.41 हैक्टेयर अंकित रहा है) किस्म बारानी दोयम में से 0.80 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ग्राम खीमेल तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नंबर 456 क्षेत्रफल 33 बीघा स्थित रही है। जिसमें से क्षेत्रफल 5 बीघा कृषि भूमि अपीलांट का भू आवंटन कमेटी बाली ने दिनांक 22.01.1983 को आवंटित की गई तथा आवंटन की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी का कब्जा अपीलांट को तत्समय ही सुपुर्द किया गया था। उसी दिन आवंटन आदेश जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर अपीलांट से सनद फीस आदि वसूल कर विधिवत नामान्तरण संख्या 134 अन्य आवंटियो के साथ दिनांक 22.01.1983 को भरा जाकर दिनांक 24.01.1983 को विधिवत रूप से सुपुर्द किया था। उक्त नामान्तरण के क्रम संख्या 23 पर अपीलांट का नाम अंकित है। अपीलांट के साथ उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 456 रकबा 33 बीघा में अपीलांट सहित भंवरलाल पुत्र चमनाजी, ढलीया पुत्र चमनाजी जाति गाडोलिया लोहार को भी आंवटन की गई थी, जिसका इन्द्राज भी नामान्तरण संख्या 134 के क्रम संख्या 24 व 25 पर अंकन है एवं उक्त दोनो को आवंटन सुदा भूमि भी सेटलमेंट क्षरा पर्चा लगान जारी नहीं किये जाने से एवं सिवाय चक अंकित किये जाने पर उक्त दोनो आवंटियो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर क्रमशः दिनांक 31.03. 2003 एवं 31.12.2005 को पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार खातेदारी हक हकुक अधिकार प्रदान किये गये है। वादग्रस्त आराजी पर वक्त आवंटन से आदिनांक तक काबिज काश्त है तथा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 22.01.1983 से आदिनांक तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट को वादग्रस्त आराजी अपीलांट को दिनांक 22.01.1983 को आवंटन की गई थी, एवं उसके पश्चात नामान्तरण दर्ज हुआ। किन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर आदिनांक तक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर होता तो भू प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाता। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं होने से गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान करने को कोई अधिकार नहीं रहता है। वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवाय चक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम खीमेल तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1077 क्षेत्रफल 4.09 हैक्टेयर(हाल सेटलमेंट की मिशल बंदोबस्त मे क्षेत्रफल 10.41 हैक्टेयर अंकित रहा है) किस्म बारानी दोयम में से 0.80 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कराने का अनुतोष चाहा है, अब जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा न होना एवं वादग्रस्त आराजी सिवायचक होना जाहिर किया है। अब जहां तक लोक अदालत का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को लोक अदालत के संबध मे नोटिस जारी किया गया, जो कि अपीलांट स्वंय द्वारा तामिल प्राप्त हुए है। जिससे अपीलांट का सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने बाबत बिन्दु गौण हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2012 बउनवान भीमा बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली